माननीय न्यायमूर्ति जे.एस. नारंग के समक्ष

अमर नाथ

बनाम

हरियाणा राज्य

सी.आर.एल. एम. नं. 5238/एम 2000

24 अक्टूबर 2002

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—एस. 319—आरोपी आवेदन दाखिल कर रहा है सीआरपीसी की धारा 319 के तहत की याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में तलब करने के लिए - ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दी - प्रथम अपीलीय कोर्ट ने आवेदन पर रोक लगाते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया - सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सह-अभियुक्त द्वारा, जो अनुरक्षणीय नहीं है- अभियोग पक्ष मुकदमे के समापन और अभियुक्तों के बरी होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए आवेदन दाखिल करना - क्या ऐसा है किसी आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है? —माना गया कि हाँ—सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्तियाँ- दायरा और वस्तु, कहा गया.

माना गया कि संहिता की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्तियां असाधारण शक्तियाँ हैं और यह न्यायालय को सम्मन करने का आदेश देती है यदि न्यायालय का मानना है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया परंतु अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है। शब्द "पाठ्यक्रम में किसी अपराध की जांच, या विचारण" केवल यह इंगित करेगा कि यदि सुनवाई करते समय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी शामिल प्रतीत होता है, सम्मन आदेश जारी किया जा सकता है। दूसरे शब्द यानि" आरोपी के साथ मिलकर प्रयास किया गया" हैं धारा 319 की उपधारा (4) के तहत योग्य यानी कार्यवाही

ऐसे व्यक्ति और गवाहों का सम्मन नए सिरे से शुरू किया जाएगा | इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति का मुकदमा अभियुक्त के साथ मिलकर चलाया जाता है यह योग्य है कि भले ही अभियुक्त के संबंध में मुकदमा चलाया गया हो | निष्कर्ष निकाला गया, अतिरिक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय की शक्तियां को वाटर टाइट जैकेट में नहीं डाला जा सकता है, जिसे सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है | यह स्पष्ट है कि तथ्य का खुलासा केवल जांच के दौरान या मुकदमा चलने के बाद ही किया जाएगा और पहले से ही नामित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शब्द "कोई भी व्यक्ति अभियुक्त नहीं है" की भी यही व्याख्या की गई है हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है उसका नाम शिकायत/एफआईआर में आ गया है, इससे धारा 319 के तहत आगे बढ़ने की न्यायालय की शक्ति कोई फर्क नहीं पड़ेगा | उपरोक्त प्रावधान

दायरा और उद्देश्य यह है कि यदि उपरोक्त चरणों में किसी तथ्य का खुलासा/प्रकटीकरण किया जाता है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय आगे बढ़ने के लिए सक्षम होगा |

(पैरा 16)

आगे कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से समन किया है| याचिकाकर्ता को सुनवाई के दौरान हुआ खुलासा तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलाना होगा | जो असाधारण शक्तियाँ धारा 319 के आधार पर न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार किसी भी किंतु-परंतु और किसी अन्य प्रक्रिया की कठोर प्रावधान से कमजोर किया जान की अनुमति नहीं दी जा सकती। शक्ति इतनी स्पष्ट है क्योंकि विधायिका ऐसा नहीं चाहती थी कोई भी व्यक्ति जो दोषी पाया जा सकता है ,बच जाना चाहिए | सावधानी बरतने की जरूरत है कि शक्ति का प्रयोग सावधानी से करना होगा और इस प्रयास से कि किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट न हो | यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि असाधारण शक्ति के आह्वान से पहले न्यायालय को आवेदन करना चाहिए। एक बार ऐसी शक्ति का प्रयोग हो , सामान्यतः प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली पालन करने की अनुमति होनी चाहिए।

(पैरा 17)

आर.के. गिरधर - याचिकाकर्ता के लिए

एस. आर.एस.बराड़ - डीएजी हरियाणा राज्य के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.एस. नारंग,

1. एफआईआर संख्या 285 दिनांक 17-10-1989, धारा 406/408/420/468/471, आई.पी.सी. के तहत। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभारी द्वारा दायर एक शिकायत पत्र दिनांक 13-10-1989 के आधार पर पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली में दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि रोशन लाल चावला, पर्यवेक्षक, सहकारी स्टोर कीपर और मैसर्स। अमर नाथ बंसल एंड संस ने निगम के साथ धोखाधड़ी की है और कुछ गबन किए गए हैं। जांच के बाद, पुलिस ने केवल रोशन लाल चावला के खिलाफ चालान पेश किया, जिन पर 27 नवंबर, 1991 को आरोप लगाया गया था और उसके बाद उन्हें 5-6-1998 को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था।

2. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, आरोपी रोशन लाल चावला ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया। पी.सी. याचिकाकर्ता को मामले में आरोपी के रूप में तलब करने के लिए। आवेदन स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता-बैसाखी राम के बेटे अमर नाथ को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के रूप में बुलाया गया। आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और 16 सितंबर, 1998 के आदेश के तहत पुनरीक्षण-याचिका की अनुमति दी गई और 7 अगस्त, 1997 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आदेश का समापन करते हुए कहा कि निचली अदालत अभियोजन पक्ष के कहने पर याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त के रूप में बुला सकती है।

3. शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया। पी.सी. याचिकाकर्ता को बुलाने के लिए, परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-10-1998 के तहत याचिकाकर्ता को मुकदमा चलाने के लिए बुलाया गया है। याचिकाकर्ता पर 7 दिसंबर 1998 के आदेश के तहत आरोप लगाया गया है।

4. उपरोक्त आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 3 दिसंबर, 1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। उसी से व्यथित होकर, 21 अक्टूबर के आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई है। 1998,

और इसलिए आदेश दिनांक 7 दिसंबर, 1998 और आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 1999 भी याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि नीचे की अदालतें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में) की धारा 319 के आयात की सराहना करने में विफल रही हैं। किसी व्यक्ति को सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमे में खड़े होने के लिए बुलाने की जो शक्ति न्यायालय में निहित है, उसका प्रयोग केवल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि एक बार मुकदमा समाप्त हो जाने के बाद, धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, मुकदमा समाप्त हो गया और सह-अभियुक्त को दिनांक 5-6-1998 के आदेश द्वारा बरी कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ट्रायल कोर्ट के समक्ष सह-अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और याचिकाकर्ता को उक्त आवेदन के अनुसार बुलाया गया था, लेकिन उक्त आदेश को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह मानते हुए कि ऐसा आवेदन सह-अभियुक्त द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है, हालाँकि, ऐसा आवेदन अभियोजन पक्ष द्वारा दायर किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, आवेदन 16-10-1998 को दायर किया गया बताया गया है, यानी मुकदमा समाप्त होने और सह-अभियुक्त के बरी हो जाने के बाद। जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि "क्या मुकदमा समाप्त होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी आवेदन पर विचार किया जा सकता है?"

6. यह तर्क दिया जाता है कि प्रावधान स्व-व्याख्यात्मक है। अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति का प्रयोग केवल जांच के दौरान या मुकदमे के दौरान किया जा सकता है, लेकिन किसी दिए गए मामले में जहां जांच समाप्त हो गई है लेकिन मुकदमा शुरू हो गया है और जारी है, जैसे शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन जहां मुकदमा समाप्त हो गया है, ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और इसका समाधान कहीं और है। संदर्भ के लिए, उपरोक्त प्रावधान को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:--

"319. अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।--

(1) जहां, किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही की जा सकती है जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, गिरफ्तार या सम्मन किया जा सकता है।

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही गिरफ्तारी के अधीन या समन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या सुनवाई के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है, जो उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय उपधारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है तो--

(ए) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की दोबारा सुनवाई होगी;

(बी) खंड (ए) के प्रावधानों के अधीन, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति आरोपी व्यक्ति था जब अदालत ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था।

7. विद्वान वकील ने पंचू लाल बनाम राजस्थान राज्य (1999) 2 आरईसी सीआरआई आर 245 में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, यह माना गया है कि "किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने पर सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया जा सकता है और कि मुकदमा ख़त्म होने के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकेगा।"

8. दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया गया था और आदेश पारित किया गया था जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गई थी। तकनीकी आधार पर पुनरीक्षण की अनुमति दी गई थी कि आवेदन केवल अभियोजन पक्ष द्वारा दायर किया जा सकता है, सह-अभियुक्त द्वारा नहीं। इस अवधि के दौरान मुकदमा पूरा हो चुका था और मुकदमे का सामना कर रहे सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट को शक्तिहीन नहीं किया गया है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान का दायरा और दायरा बहुत व्यापक है, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मुकदमे को निर्देशित करने में अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग किया है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संबोधित संबंधित तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का अवलोकन। पी.सी. ट्रायल कोर्ट को बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है और उक्त शक्ति किसी भी प्रावधान के अधीन नहीं है। इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में किया जा सकता है जो अभियुक्त नहीं है और किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान न्यायालय के ध्यान में यह बात आई है कि किसी अन्य व्यक्ति, जो अभियुक्त नहीं है, ने अपराध किया है। ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया

जा सकता है। यदि न्यायालय धारा 319 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति को लागू करने का मन बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए नए सिरे से कार्यवाही शुरू करनी होगी। उपरोक्त प्रावधान की उपधारा (4) से यह और स्पष्ट हो जाता है।

11. उपरोक्त प्रावधान की व्याख्या कई अवसरों पर न्यायालयों के समक्ष उठी है। ऐसे ही एक मामले में, सवाल उठाया गया था: "क्या सत्र न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उसके खिलाफ किसी प्रतिबद्धता आदेश के अभाव में आरोपी के रूप में जोड़ सकता है?" जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1979 एससी 339: (1979 सीआरआई एलजे 333) मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार सत्र न्यायालय द्वारा उपरोक्त के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद इस तरह के किसी भी प्रतिबद्ध आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रावधान। इस संबंध में संहिता की धारा 319 और 209 का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, विभिन्न पैराग्राफों में की गई शीर्ष अदालत की टिप्पणियों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो इस प्रकार हैं:--

"5. 1898 संहिता के तहत समतुल्य प्रावधान धारा 351(1) में पाया जाना था जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि आपराधिक न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, हालांकि गिरफ्तारी के अधीन या सम्मन पर नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई का उद्देश्य, जिसका ऐसा न्यायालय संज्ञान ले सकता है और जो साक्ष्य से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अपराध किया गया है, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि उसे गिरफ्तार किया गया था या बुलाया गया था; उपधारा (2) बशर्ते कि ऐसी स्थिति में नए जोड़े गए अभियुक्तों की उपस्थिति में साक्ष्य की दोबारा सुनवाई की जाएगी। इस पुराने प्रावधान के संबंध में, विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट (पैरा 24.80 के अनुसार) में पाया कि इसके तहत एक आपराधिक न्यायालय को प्रदत्त शक्ति इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा व्यक्ति अदालत में उपस्थित हो रहा हो और फिर उसे हिरासत में लिया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए धारा 351 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था यदि वह अदालत में उपस्थित नहीं था, और इसलिए, एक उचित व्यापक प्रावधान की सिफारिश की गई थी जो अब वर्तमान धारा 319(1) की विषय-वस्तु है। विधि आयोग ने अपनी उक्त रिपोर्ट (पैरा 24.81 के अनुसार) में आगे कहा कि पुरानी धारा 351 मानती थी कि इसके तहत कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट के पास नए मामले का संज्ञान लेने की शक्ति है, लेकिन यह नहीं बताया कि मजिस्ट्रेट द्वारा किस तरीके से संज्ञान लिया गया था और सवाल यह था कि क्या नए जोड़े गए आरोपियों के खिलाफ, धारा 190 (1) (सी) के तहत मजिस्ट्रेट की अपनी जानकारी पर संज्ञान लिया गया माना जाएगा या केवल उसी तरीके से, जिस तरह से अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध का पहली बार संज्ञान लिया गया था। और यह प्रश्न महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों मामलों में जांच और सुनवाई के तरीके अलग-अलग थे; विधि आयोग ने महसूस किया कि इस विशेष प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी ज्ञात संदिग्धों के खिलाफ पूरा मामला शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाएगा और

सुविधा की आवश्यकता होगी कि नए जोड़े गए आरोपियों के खिलाफ उसी तरह से संज्ञान लिया जाए जैसे अन्य आरोपियों के खिलाफ लिया जाना चाहिए। इसलिए, विधि आयोग ने प्रस्तावित किया कि एक नया प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए जिसमें यह प्रावधान हो कि यदि कार्यवाही के दौरान किसी नए व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है तो संज्ञान लेने के तरीके में कोई अंतर नहीं होगा और इस प्रकार उप-धारा का खंड (बी) धारा 319 का (4) ऊपर बताए अनुसार अधिनियमित किया गया जिसमें एक डीमिंग प्रावधान शामिल है। अपनी 41वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की उपरोक्त सिफारिश स्पष्ट रूप से उस शक्ति के वास्तविक दायरे और दायरे को सामने लाती है जिसे वर्तमान धारा 319(1) के तहत एक आपराधिक न्यायालय को प्रदान करने का इरादा था।

6. धारा 319(1) का एक स्पष्ट पाठ, जो अध्याय में होता है। XXIV पूछताछ और परीक्षण के सामान्य प्रावधानों से संबंधित है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह सत्र न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर लागू होता है और इस प्रकार एक सत्र न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को शामिल करने की शक्ति होगी, जो उसके सामने आरोपी नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ है मुकदमे के दौरान एक आरोपी के रूप में अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत पेश करें और उसे अन्य आरोपियों के साथ मुकदमा चलाने का निर्देश दें; लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके पास ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबद्धता आदेश के बिना ऐसा करने की शक्ति है? इस संदर्भ में वर्तमान संहिता की धारा 193 और 209 के प्रावधानों की तुलना में पुरानी संहिता के समकक्ष प्रावधानों पर विचार करना होगा। वर्तमान संहिता की धारा 193 और धारा 209 इस प्रकार चलती हैं:

"193. सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान - इस संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक मामला इस संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा गया है।"

"209. मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना जब अपराध विशेष रूप से उसके द्वारा विचारणीय हो। - जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा स्थापित मामले में, आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय है, वह-

(ए) मामले को सत्र न्यायालय को सौंपा जाएगा;

(बी) जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, अभियुक्त को मुकदमे के दौरान और उसके समापन तक हिरासत में भेज देगा;

(सी) उस न्यायालय को मामले का रिकॉर्ड और दस्तावेज और लेख, यदि कोई हों, भेजें, जिन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना है;

(डी) सत्र न्यायालय को मामले की प्रतिबद्धता के बारे में लोक अभियोजक को सूचित करें।"

यह देखा जाएगा कि धारा 193 और धारा 209 दोनों के तहत प्रतिबद्धता मामले की है, आरोपी की नहीं, जबकि पुराने कोड के समकक्ष प्रावधान के तहत। धारा 193(1) और धारा 207ए यह मामला नहीं बल्कि आरोपी था। यह सच है कि अदालत के समक्ष आरोपी व्यक्ति के उपस्थित हुए बिना मामले को सुपुर्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि किसी अपराध के संबंध में मामला दर्ज करने से पहले कुछ आरोपियों पर अपराध में शामिल होने का संदेह होना चाहिए। न्यायालय प्रतिबद्ध है तो यह कहा जा सकता है कि अपराध का संज्ञान सत्र न्यायालय द्वारा ठीक से लिया गया है और धारा 193 की रोक रास्ते से हट जाएगी और अतिरिक्त व्यक्तियों को बुलाना होगा जो साक्ष्य से अपराध में शामिल प्रतीत होते हैं परीक्षण के दौरान नेतृत्व करना और उन्हें उन लोगों के साथ अपना मुकदमा चलाने का निर्देश देना जो पहले से ही प्रतिबद्ध थे, को इस तरह के संज्ञान के लिए आकस्मिक माना जाना चाहिए और इसके बाद होने वाली सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाना चाहिए; अन्यथा सत्र न्यायालय को धारा 319(1) के तहत प्रदान की गई शक्ति निष्प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा धारा 319(1) नए जोड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ औपचारिक प्रतिबद्धता आदेश से छूट देते हुए एक अपमानजनक प्रावधान लागू करती है। प्रावधान के तहत यह प्रावधान है कि जहां न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है तो मामला ऐसे आगे बढ़ सकता है जैसे कि वह व्यक्ति आरोपी व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा चल रहा था। प्रारंभ में, दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति को प्रतिबद्धता के समय आरोपी माना जाना चाहिए क्योंकि उस समय सत्र न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है।"

7. उपरोक्त संदर्भ में रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1967 एससी 1667: (1967 सीआरआई एलजे 1081) में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा जहां इस न्यायालय ने बताया है कि संज्ञान लेने का क्या मतलब है अपराध। अपीलकर्ता, प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमलावरों के रूप में उल्लिखित 15 व्यक्तियों में से एक था। जांच के दौरान पुलिस ने अपीलकर्ता की दलील को स्वीकार कर लिया और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष आईपीसी की धारा 302, 201 और 149 के तहत अपराध के लिए अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि अपीलकर्ता को आरोपमुक्त कर दिया गया और मामले को जांच के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने दो गवाहों की जांच करने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ अन्य आरोपियों के साथ आगे बढ़ने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। पुराने संहिता की धारा 207-ए के तहत। आदेश की पुष्टि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी और इस न्यायालय में आगे की अपील में सबसे पहले यह माना गया था कि अपीलकर्ता को बरी

नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत आरोप-पत्र में उसे शामिल नहीं किया गया था। और, दूसरा, अपीलकर्ता के खिलाफ अन्य आरोपियों के साथ सीआरपीसी की धारा 207-ए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पी.सी. और इस न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की। इस न्यायालय के समक्ष पेश किए गए तर्कों में से एक यह था कि जहां तक अन्य आरोपियों का संबंध था, मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया था, लेकिन अपीलकर्ता के संबंध में नहीं और इस तर्क के संबंध में सीकरी, जे. (जैसा कि वह तब था) को माना गया था। इस प्रकार है (पृष्ठ 1169 पर):

"हमारी राय में, एक संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है, वह किसी अपराध का संज्ञान लेता है, न कि अपराधियों का: एक बार जब वह किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि वास्तव में अपराधी कौन हैं और एक बार जब वह आता है यह निष्कर्ष कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना उसका कर्तव्य है। अतिरिक्त आरोपियों को बुलाना किसी अपराध का संज्ञान लेने के द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है। जैसा कि बताया गया है इस न्यायालय द्वारा प्रवीण चंद्र मोदी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1965) 1 एससीआर 269: एआईआर 1965 एससी 1185: (1965 (2) सीआरआई एलजे 250 में "शिकायतकर्ता" शब्द में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शामिल होंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट लेता है तथ्यों की शिकायत के आधार पर धारा 190 के तहत संज्ञान लिया जाएगा और कार्यवाही शुरू की जाएगी, भले ही उस समय अपराध करने वाले व्यक्तियों का पता न हो। हमारे विचार से, धारा 190 के तहत भी यही स्थिति कायम है। 1)(बी)।"

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि संहिता की धारा 193 के साथ पठित धारा 209 के तहत जब कोई मामला किसी अपराध के संबंध में सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है तो सत्र न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है, न कि आरोपी का और एक बार सत्र न्यायालय कुछ आरोपियों के खिलाफ कमिटमेंट आदेश के परिणामस्वरूप मामले को उचित रूप से जब्त कर लिया गया है, धारा 319 (1) के तहत शक्ति लागू हो सकती है और ऐसी अदालत किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी नहीं है, अपने सामने आरोपी के रूप में जोड़ सकती है और उस पर मुकदमा चलाने का निर्देश दे सकती है। उस अपराध के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ, जो मुकदमे में दर्ज साक्ष्यों से ऐसे जोड़े गए अभियुक्त द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से प्रावधान को देखने पर धारा 319(1) को धारा 193 के अधीन या अधीन पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होगा।"

एक अन्य मामले में यह सवाल उठा था कि क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही रद्द कर दी गयी है. पी.सी. क्या अदालत उनके खिलाफ संहिता की धारा 319 के तहत कार्यवाही कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी, 1983 एससीसी (सीआरआई) 115: (1983 सीआरआई एलजे 159) के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि संहिता की धारा 319 में एक असाधारण शक्ति शामिल है जो कि प्रदान की गई है।

न्यायालय, जिसका प्रयोग बहुत संयमित तरीके से किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब दूसरे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हों जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यह तथ्य कि कुछ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी गई है, अदालत को अपने विवेक का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा यदि वह पूरी तरह से संतुष्ट है कि उनके खिलाफ संज्ञान लेने का मामला बनाया गया है। इसके सामने अतिरिक्त सबूत पेश किए गए। निर्णय के पैरा 19 का संदर्भ देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:--

"19. इन परिस्थितियों में, इसलिए, यदि अभियोजन किसी भी स्तर पर ऐसे सबूत पेश कर सकता है जो अदालत को संतुष्ट करता है कि अन्य आरोपी या जिन्हें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई है, उन्होंने भी अपराध किया है तो अदालत उन पर कार्रवाई कर सकती है। उनके खिलाफ संज्ञान लें और अन्य आरोपियों के साथ उन पर मुकदमा चलाएं। लेकिन, हम यह जोड़ना जल्दबाजी चाहेंगे कि यह वास्तव में एक असाधारण शक्ति है जो न्यायालय को प्रदान की गई है और इसका उपयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब दूसरे के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हों। वह व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इससे अधिक हम इस स्तर पर और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम पूरे मामले को संबंधित न्यायालय के विवेक पर छोड़ते हैं ताकि वह कानून के अनुसार कार्रवाई कर सके। हालांकि, हम ऐसा करेंगे। यह स्पष्ट करें कि केवल यह तथ्य कि उत्तरदाताओं 2 से 5 के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई है, अदालत को अपने निर्देश का पालन करने से नहीं रोकेगा यदि वह पूरी तरह से संतुष्ट है कि उनके खिलाफ संज्ञान लेने का मामला पहले दिए गए अतिरिक्त सबूतों पर बनाया गया है।"

12. एक और सवाल जो उठा - क्या सत्र न्यायालय, धारा 319 से स्वतंत्र रूप से साक्ष्य दर्ज किए बिना, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त आरोपियों को बुला सकता है। पी.सी.?" प्रश्न को एक बड़ी पीठ और पटना उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ को भेजा गया था, जब एसके लटफुर रहमान बनाम राज्य, 1985 सीआरआई एलजे 1238 में फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 319 है। मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमे के लिए अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की शक्ति का एकमात्र भंडार नहीं है। यह देखा गया है कि धारा 319 उस संकीर्ण क्षेत्र में काम करती है जहां मुकदमा पहले ही आगे बढ़ चुका है या जांच पहले ही शुरू हो चुकी है। वास्तव में कुंजी शब्द हैं "जहां, किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान।" आगे यह देखा गया है कि उपरोक्त धारा उस विशिष्ट और सीमित स्थिति को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो अदालत के सामने तब उत्पन्न हो सकती है जब साक्ष्य सामने आते हैं। किसी मुकदमे या पूछताछ के बीच में जिस व्यक्ति पर आरोपी के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, उस पर पहले से ही आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस प्रावधान की प्री-ट्रायल या प्री-इंक्वायरी चरण के

साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है यानी कि फ्रेमिंग से पहले संज्ञान लेने के बाद या जांच शुरू होने से पहले आरोप लगाया गया है। पूर्ण पीठ की टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:--

"xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx फिर से मुझे यह लगता है कि सत्यनारायण यादव के मामले में जो मूल त्रुटि आई वह यह धारणा थी कि संहिता की धारा 319 अतिरिक्त आरोपी को मुकदमे के लिए बुलाने के लिए शक्ति का एकमात्र भंडार है मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय। यह निष्कर्ष इसके समर्थन में सिद्धांत या मिसाल के किसी भी विस्तृत विचार की तुलना में एक तानाशाही के रूप में अधिक आया है। ऐसा लगता है कि यह छूट गया है कि धारा 319 उस संकीर्ण क्षेत्र में काम करती है जहां मुकदमा पहले ही आगे बढ़ चुका है या एक जांच पहले ही शुरू हो चुकी है। वास्तव में मुख्य शब्द शुरुआती शब्द हैं "जहां, किसी अपराध की जांच या परीक्षण के दौरान।" इस प्रकार यह पेटेंट है कि धारा 319 को विशिष्ट और सीमित को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है किसी मुकदमे या पूछताछ के बीच में किसी न्यायालय को यह पता चलने की स्थिति कि कुछ अतिरिक्त अभियुक्तों पर भी उसके सामने पहले से मौजूद व्यक्तियों के साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वास्तव में, इस प्रावधान की पूर्व-परीक्षण या पूर्व-जांच चरण के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है यानी संज्ञान लेने के बाद आरोप तय करने से पहले या कोई जांच शुरू होने से पहले। इसलिए, धारा 319 किसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्र में काम करती है जो अपराध का संज्ञान लेने और प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग है जो रघुबंस दुबे के मामले (1967 सीआरआई एलजे 1081) (एससी) के नियम के तहत उसका हिस्सा और पार्सल हैं। फिर से धारा 209, 227, 228, 239 और 240 के पहले के प्रावधान वास्तविक आरोप तय करने और मुकदमा शुरू होने से पहले के चरण से संबंधित हैं और इसलिए, धारा 319 के तहत अलग क्षेत्र में काम करते हैं। यह स्पष्ट है कि धारा 209, 227, 228, 239 और 240 के तहत मामले के इस पहलू पर बेंच का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया गया और परिणामस्वरूप, इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई, यहां तक कि अध्याय में धारा 319 को रखने पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। पूछताछ और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान स्वयं इसके सीमित आयात का संकेत है। जब वैधानिक प्रावधान अलग-अलग स्थितियों से निपट रहे हैं और अलग-अलग प्रक्रियाएं प्रदान कर रहे हैं, तो सम्मान के साथ, यह कहना गलत लगता है कि प्रक्रियाओं में से एक अतिरिक्त आरोपियों को बुलाने की शक्ति का एकमात्र भंडार होगा। इसलिए, बहुत सम्मान के साथ, एक परीक्षण और पूछताछ के बीच की स्थिति और ऐसी जांच या परीक्षण से पहले की स्थिति के बीच का अंतर सत्यनारायण यादव के मामले 1977 बीबीसीजे 442 में पूरी तरह से छूट गया लगता है। सबसे गहरे सम्मान के साथ, मैं यह बताने में असमर्थ हूं इस विचार की सदस्यता लें कि संहिता की धारा 319, संज्ञान के चरण में भी अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की शक्ति का एकमात्र भंडार है और जो उस प्रक्रिया का हिस्सा और पार्सल हो सकता है, साथ ही प्रतिबद्धता के चरणों और फ्रेमिंग के लिए विचार के लिए भी। किसी आरोप या किसी आरोपी व्यक्ति को आरोपमुक्त करने के संबंध में, धारा 319 का इरादा कभी भी इन सभी विशिष्ट और अलग-अलग क्षेत्रों को कवर करना नहीं था। सत्यनारायण यादव के मामले में कानून सही ढंग से नहीं बनाया गया है।"

14. संसद द्वारा जिस समाधान की मांग की गई थी, वह अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले अनुपस्थित आरोपियों को बुलाने की स्पष्ट शक्ति प्रदान करना था और यह स्पष्ट करना था कि जोड़े गए आरोपियों के खिलाफ संज्ञान को मूल रूप से सह-अभियुक्तों के खिलाफ लिया गया माना जाएगा और आगे उद्देश्य यह था कि सभी ज्ञात संदिग्धों के खिलाफ पूरे मामले को शीघ्रता से उठाया जा सके। यही ट्रिपल कारण है जिसके लिए पुराने खंड को कुछ हद तक अधिक व्यापक और विस्तृत बनाया गया था। धारा 319 में प्रयुक्त भाषा और अध्याय XIV में अनुभाग का स्थान है स्पष्ट रूप से उस आशय का एक संकेतक। इस प्रकार इसका इरादा कभी नहीं था और न ही धारा 319 के प्रावधानों से दूर-दूर तक यह पता चलता है कि सभी स्थितियों में अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए शक्ति के एकमात्र भंडार के रूप में इस धारा को अब अधिनियमित करने की मांग की गई थी। धारा 319 का किसी भी तरह से पुराने कोड के तहत इस बिंदु पर कानून से कोई कट्टरपंथी या कठोर विचलन करने का इरादा नहीं था। रघुबंस दुबे के मामले (1967 (1) सीआरआई एलजे 1081) में हितकारी नियम को खत्म करने का इसका दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नए कोड के संदर्भ में भी कम से कम दो बार दोहराया है।

16. xxx xxx xxx xxx xxx अंत में, प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, यह माना जाता है कि सत्र न्यायालय, आरोप तय करने से पहले, सबूत दर्ज किए बिना, किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है धारा 319 के प्रावधानों से स्वतंत्र होकर संहिता की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त आरोपी और इसके अलावा पुरानी धारा 351 के स्थान पर नए संहिता की धारा 319 का प्रतिस्थापन किसी ने भी ऐसी शक्ति का एकमात्र भंडार बनाकर कानून में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया है।"

13. शीर्ष अदालत ने माना है कि एक व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया गया है, जब इस बीच मुख्य मामले की सुनवाई समाप्त हो जाती है, तो अतिरिक्त आरोपी को मुकदमे का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए नए सिरे से मुकदमा चलाया जाना है। उठाया गया सवाल यह था कि अतिरिक्त आरोपी पर केवल उसी आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है जिस पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है और यदि उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया है, तो अतिरिक्त आरोपी पर संहिता की धारा 319 के तहत पारित आदेश के अनुसार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया है और शीर्ष अदालत ने माना है कि भले ही जिस आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा था उसका मुकदमा समाप्त हो गया है और धारा 319 के तहत शक्ति का इस्तेमाल किया गया है और अतिरिक्त आरोपी को मुकदमे में खड़े होने के लिए बुलाया गया है, डे नोवो ट्रायल आयोजित किया जाएगा और ऐसी स्थिति में सम्मन आदेश निष्क्रिय नहीं होगा।

14. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न एक बार फिर विचार के लिए आया था कि जिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उसके खिलाफ मुकदमे के निष्कर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है, जब नई

जोड़ी गई धारा 319(1) के तहत कार्यवाही के लिए आदेश पारित किया जाता है। व्यक्ति। शीर्ष न्यायालय ने शशिकांत सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह (2002) 3 आरईसी सीआरआई आर 191: (2002 सीआरआई एलजे 2806) मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की है:--

"8. नए जोड़े गए व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही के लिए धारा 319(1) के तहत आदेश पारित किए जाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमे के निष्कर्ष के प्रभाव की जांच की जानी है (4) धारा 319 जो नए जोड़े गए व्यक्तियों और व्याख्या के कुछ निश्चित सिद्धांतों के संबंध में नए सिरे से मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है।

9. जब कोई क़ानून किसी चीज़ को करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पारित किया जाता है, और जिस तरीके से इसे किया जाना है उसे निर्धारित करता है, तो यह या तो एक पूर्ण अधिनियम या निर्देशिका अधिनियम हो सकता है। अंतर यह है कि एक पूर्ण अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए या ठीक से पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त है अगर एक निर्देशिका अधिनियम का पालन किया जाए या पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए। इस बारे में कोई सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता है कि क्या अनिवार्य अधिनियमों को केवल निर्देशिका माना जाएगा या अवज्ञा के लिए निहित निरस्तीकरण के साथ अनिवार्य माना जाएगा। न्याय की अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे लागू किए जाने वाले क़ानून के पूरे दायरे पर ध्यानपूर्वक ध्यान देकर विधायिका के वास्तविक इरादे को जानने का प्रयास करें। (क्रेज़ ऑन स्टैट्यूट लॉ, 7वां संस्करण, पृष्ठ 260-262)।

10. यहां प्रावधान का आशय यह है कि जहां किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान अदालत को सबूतों से यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है, तो अदालत आगे बढ़ सकती है उसके विरुद्ध उस अपराध के लिए जो उसने किया प्रतीत होता है। उस स्तर पर, न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि ऐसे व्यक्ति पर उस आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है जो पहले से ही अदालत में मुकदमे का सामना कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में प्रावधानित सुरक्षा यह है कि शुरुआत से ही कार्यवाही अनिवार्य रूप से नए सिरे से शुरू की जानी चाहिए और गवाहों को फिर से सुना जाना चाहिए। संक्षेप में, उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। डे नोवो ट्रायल का प्रावधान अनिवार्य है। यह न्यायालय के समक्ष लाए गए व्यक्ति के अधिकारों को अत्यंत प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति से जिरह के लिए केवल गवाहों को प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा। इनकी नए सिरे से जांच होनी है. नए जोड़े गए अभियुक्तों की नए सिरे से जांच करना और न केवल जिरह के उद्देश्य से उनकी प्रस्तुति धारा 319(4) का आदेश है। धारा 319(1) में आरोपियों के साथ जिन शब्दों का मुकदमा चलाया जा सकता था, वे केवल निर्देशिका प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि होना ही चाहिए। प्रावधान का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि चूंकि एक व्यक्ति के संबंध में मुकदमा जो न्यायालय के समक्ष था, इस

परिणाम के साथ समाप्त हो गया है कि नए जोड़े गए व्यक्ति पर उस अभियुक्त के साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो धारा 319(1) के तहत आदेश के समय न्यायालय के समक्ष था।) पारित किया गया था, तो आदेश अप्रभावी और निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे न्यायालय द्वारा पहले साक्ष्य के आधार पर बनाई गई राय रद्द हो जाएगी कि नए जोड़े गए व्यक्ति ने अपराध किया है जिसके परिणामस्वरूप उसे न्यायालय के समक्ष लाने का आदेश दिया गया है।

11. जहां एक क़ानून में केवल एक अधिनियम शामिल नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ करने के तरीके को विनियमित करने वाले कई अलग-अलग प्रावधान शामिल होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इनमें से कुछ प्रावधानों को केवल निर्देशिका के रूप में माना जाता है, जबकि अन्य पूर्ण और आवश्यक माने जाने चाहिए; कहने का तात्पर्य यह है कि किए जाने वाले कार्य को अमान्य किए बिना कुछ प्रावधानों की अवहेलना की जा सकती है, लेकिन अन्य नहीं। (क्रेज़ ऑन स्टैच्यूट लॉ, 7वां संस्करण, पृष्ठ 266-267)|

12. नए सिरे से मुकदमा चलाने का कानून का आदेश अनिवार्य है जबकि नए जोड़े गए आरोपियों पर सीधे आरोपियों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

13. तथ्यों के आधार पर, चन्द्र शेखर सिंह के खिलाफ मुकदमे का समापन करते समय अदालत का इरादा प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ वारंट जारी करने के अपने पहले के आदेश को रद्द करने का नहीं हो सकता था। इस तरह के प्रावधान पर निर्माण के लिए न्याय की सराहना की जानी चाहिए और कारण. न्याय के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए इसका उचित निर्माण होना चाहिए। धारा 319(1) में शब्दों का अभियुक्त के साथ एक साथ प्रयास किया जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल एक निर्माण के लिए सक्षम है। यदि ऐसा होता तो अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण अलग होता क्योंकि व्याख्या के परिणामों के बावजूद संसद की मंशा का सम्मान किया जाना है। हालाँकि, दो संभावित निर्माणों की गुंजाइश है। ऐसी स्थिति होने पर, एक उचित और सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि ऐसी किसी रचना के, जिसके बेतुके परिणाम होंगे कि प्रतिवादी नंबर 1 धारा 319(1) के तहत न्यायालय की संतुष्टि पर उसके खिलाफ सभी आदेश पारित करने के बावजूद मुकदमे से बच जाएगा।) और इस तथ्य के बावजूद कि उसके खिलाफ कार्यवाही नए सिरे से शुरू होनी है। इस दृष्टि से, जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 का संबंध है, इस तथ्य का कोई मतलब नहीं है कि चंद्र शेखर सिंह के खिलाफ मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है।

15. संहिता की धारा 319(1) के तहत प्रदत्त शक्तियां असाधारण शक्तियां हैं और यह न्यायालय को आदेश देती है कि यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति

को, जो आरोपी नहीं है, मुकदमा चलाने के लिए बुला सकती है। शब्द "किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान" केवल यह संकेत देंगे कि यदि अदालत सुनवाई करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है, तो सम्मन आदेश जारी किए जा सकते हैं। दूसरा शब्द यानी "आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया गया" धारा 319 की उप-धारा (4) के तहत योग्य है यानी ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की दोबारा सुनवाई होगी। इस प्रकार, अभियुक्त के साथ ऐसे व्यक्ति का मुकदमा इस योग्य है कि भले ही अभियुक्त के संबंध में मुकदमा समाप्त हो गया हो, अतिरिक्त अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय की शक्तियों को किंतु-परंतु के साथ प्रयोग करने के लिए वाटर टाइट जैकेट में नहीं रखा गया है। दायरा बहुत व्यापक है. यह स्पष्ट है कि तथ्यों का खुलासा केवल जांच के दौरान ही किया जाएगा, या जब मुकदमा शुरू हो चुका है और पहले से ही नामित अभियुक्तों के लिए चल रहा है। शब्द "कोई भी व्यक्ति जो आरोपी नहीं है" की यह भी व्याख्या की गई है कि भले ही किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई हो, भले ही उसका नाम शिकायत/एफआईआर में दर्ज किया गया हो, इससे अदालत की आगे बढ़ने की शक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। धारा 319. उपरोक्त प्रावधान का दायरा और उद्देश्य यह है कि यदि उपरोक्त चरणों के दौरान किसी तथ्य का खुलासा/खुलासा किया जाता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

16. मेरी राय है कि मौजूदा मामले में, मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को मुकदमा चलाने के लिए सही ढंग से बुलाया है। धारा 319 के आधार पर न्यायालयों को जो असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उन्हें किसी किन्तु-परन्तु तथा किसी अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शक्ति इतनी स्पष्ट है कि विधायिका नहीं चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति जो उस अवसर पर दोषी पाया जा सकता है जब न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का खुलासा किया जाए, वह छूट जाए। सावधानी की एक बात का पालन करना होगा कि शक्ति का प्रयोग सावधानी से करना होगा और प्रयास करना होगा कि किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न हो। यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि न्यायालय को असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। एक बार ऐसी शक्ति का प्रयोग हो जाने के बाद, आम तौर पर प्रक्रिया और प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

17. मौजूदा मामले में, मुझे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। फलस्वरूप याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
अंबाला, हरियाणा